64

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन / निगरानी / रीवा / भूरा / 2017 / 2325 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—06—2017 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 25 / अ—74 / मूल / 2016—17.

.....

1—रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 श्री द्वारिका प्रसाद
निवासी ग्राम टटिहरा तहसील हनुमना जिला रीवा
2—राजकरण पाण्डे तनय स्व0 श्री पदमाक्ष प्रसाद पाण्डेय
निवासीगण ग्राम सिमटी तहसील हनुमना जिला रीवा.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—म0 प्र0 शासन
2—रामविशाल, सूर्यमान, यज्ञभान
पुत्रगण स्व0 सुबुद्री काछी
3—भगवती उर्फ भगौती लौहार तनय
स्व0 श्री मैना लोहार
4—हीरालाल दर्जी

———अनावेदक (हिद्वबद्व)

——— औपचारिक अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 पी0 पालीवाल शासन के पैनल अधिवक्ता
अनावेदक 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

.....

आदेश

(आज दिनांक 07-03-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया है कि ग्राम सगरा खुर्द तहसील हनुमना जिला रीवा की भूमि खसरा कमांक 104/1, 107 एवं 108 उसकी पुस्तैनी भूमि है जिसका विधिवत नामान्तरण आवेदकगण के नाम जरिये आपसी व्यवस्थापन/वसीयत पत्रके के वारिसों द्वारा कंरये द्वारा कराये जाने पर उसी आधार पर नामांतरण किया गया था जिसकी इत्तलायावी भी राजस्व अभिलेखों दर्ज की गई थी शासन की भूमि कभी भी नहीं रही थी। इसके सुधार बावत तहसील न्यायालय में आवेदन दिया गया था तहसीलदार द्वारा दिनांक 2.8.97 को भूल मानते हुये सुधार करने के आदेश दिये। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जिसके विरूंद्व राजस्व मण्डल न्यायालय में निगरनी प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार किया गया। शासन द्वारा राजस्व मण्डल में रिव्यु प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 19.5.15 को आदेश पारित करते हुये निरस्त किया गया। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 25/अ–74/मूल/2016 में पारित आदेश दिनांक 7.6.17 से भूमि खसरा कमांक 104/1, 107, 108 कुल कि़ता 3 रकवा 14.64 एकड़ म0 प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार को दिया गया है जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.17 सर्वथा विधि विपरीत एवं न्यायालयीन निष्कर्ष कम के विपरीत तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका कमांक 19734/2015 में पारित आदेश दिनांक 26.4.16 में दिये गये निर्देश मन्शा विपरीत होने की बजह से निरस्त योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपने आदेश पत्रिका के पेज कमांक 05 कण्डिका 06 के पैरा कमांक 2 में जो सही तथ्यों का उल्लेख किया गया है उसे आदेश की अन्तिभता में समाहित नहीं किया गया यह आदेश विधि विरूद्व एवं कमानुसार निरंतरता के कम में न होने से मान्य योग्य नहीं है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आगे तर्क में यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आदेश

न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना के यानी प्रकरण कमांक 27/अ–6/अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 2.8.97 को निरस्त किया गया है उसी आदेश के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं अनुविभागीय आधिकारी हनुमना द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व मण्डल में रिव्यु प्रकरण कमांक 1712–तीन/03 दायर किया गया था जिसमें 19.5.15 को अन्तिम आदेश पारित कर कलेक्टर रीवा का रिव्यु आवेदन निरस्त करते हुये न्यायालय तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 27/अ–6/96–97 में पारित आदेश दिनांक 2.8.97 को यथावत रखा जा चुका है वह आदेश आज भी स्थिर है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिला रीवा द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि कलेक्टर जिला का प्रकरण कमांक 25/अ–74/मूल/2016 में पारित आदेश दिनांक 7.6. 17 निरस्त करते हुये राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक रिव्यु 1712/तीन/03 में पारित आदेश दिनांक 19.5.15 का पालन तहसीलदार हनुमना को कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक –1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 25/अ–74/मूल/2016 में पारित आदेश दिनांक 7.6.17 के विरूद्व माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई हे एवं न्यायालय के समक्ष झूंठा कथन कर वास्तविक स्थिति को छिपाते हुये निगरानी प्रकरण को दर्ज करा कर अपने पक्ष में आदेश पारित कराने के फिराक में है जिस कारण वास्तविक स्थिति की जानकारी व सही दस्तावेज के आधार पर अनावेदक को सुना जाकर आवेदगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को प्रारंभिक स्थिति में ही ग्राह्य किया जाना उचित नहीं होगा। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया हैं कि आवेदकगण द्वारा फर्जी व कूट रचित आदेश न्यायालय तहसीलदार हनुमना जिला रीवा का आदेश दिनांक 2.8.97 तैयर कया है जिसका प्रकरण कमांक 27/अ–6/अ/96–97 व पारित आदेश दिनांक 2.8.97 है उक्त फर्जी व कूट रचित आदेश के आधार पर तहसीलदार के आदेश को वैध ठहराने के उददेश्य से राजस्व मण्डल ग्वालियर में मात्र म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत

की गयी थी जिसका प्रकरण कमांक 2471–दो/02 आदेश दिनांक 28.4.03 है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना/मउगंज के राजस्व प्रकरण कमांक 396/अ–74/2014–15 रामेश्वर प्रसाद आदि विरूद्व म0 प्र0 शासन व अन्य से निर्णित प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन व पंचनामा दिनांक 30.7.15 से भी स्पष्ट हे कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण रामविशाल आदि का देरीना पुस्तैनी कब्जा व मकान बना है । इसी प्रकार तहसीलदार तहसील हनुमना के प्रकरण कमांक 91/अ–74/2000–01 राम विशाल विरूद्व म0 प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 20.8.04 को विवादित भूमि खसरा कमांक 108 के रकवा 3.92 एकड़ पर रामविशाल काछी आदि को भूमि स्वामी खाने में नाम दज्र करने का आदेश पारित किया गया है किया। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि कलेक्टर जिला रीवा का 25/अ–74/मूल/2016 में पारित आदेश दिनांक 7.6.17 उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5–अनावेदक अधिवक्ता पैनल के द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला रीवा का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है उनका आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है इसे दौहराने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट लेख किया गया है कि बन्दोवस्त खतौनी वर्ष 1924–25 में व्यापक पैमाने पर काट –पीट कर कूट रचना का सहारा लेते हुये शासकीय संपत्ति को हानि पहुंचाने की दृष्टि से अवैधानिक रूप से शासकीय भूमि का बन्दोवस्त किया गया है इसी प्रकार कैलास सक्सेना तहसीलदार हनुमना द्वारा दिनांक 17.7.14 को अपने मुख्य परीक्षण में बताया हे कि प्रकरण कमांक 28/अ–6/अ/1996–97 के यप्रकरण भी फर्जी थे। क्यो कि ये प्रकरण मिले ही नहीं थे न ही इन्हें न तो दाखिला सूची द्वारा अभिलेखागार में जमा किया गया और न ही ये प्रवाचक को प्रभार में प्राप्त हुये । रामकरण पटवारी हनुमना हल्के में पदस्थ था वह वर्ष 1998

से कागज लेकर गायब था जिसकी एफ0 आई0 आर0 भी लिखाई गई थी। उसके घर का ताला तोड़कर कुछ सरकारी कागज जप्त किये गये थे लेकिन खसरा नामांमरण पंजी और नक्शा जो कि हनुमना सर्किल से संबंधित प्राप्त नहीं हुये जांच में यह पाया कि फर्जी राजस्व प्रकरणों के आधार पर शासकीय भूमियों पर स्वत्व निर्मित कर खसरे में इसकी प्रविष्टियां होगयी हैं इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है कि आवेदकगण द्वारा फर्जी आदेश का सहारा लेकर इत्तलायावी का आवेदन पत्र दिया गया हे जिस कारण मूल प्रकेरण के बिना रिकार्ड सुधार किया जाना कलेक्टर जिला रीवा द्वारा उचति नहीं माना है। इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला रीवा द्वारा समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः कलेक्टर जिला रीवा का आदेश दिनांक 7.6.17 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7—उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 25 / अ—74 / मूल / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 7.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर